नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

बाल कैंसर : ठोस उपाय करने की जरूरत

भारत का दक्षिण एशिया का 'कैंसर कैपिटल' बनना केवल एक चिंताजनक आंकड़ा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने खड़ी गंभीर चुनौती का संकेत है. लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया की रिपोर्ट और विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2022 में सार्क देशों में बाल कैंसर के 37,716 मामले सामने आए, जिनमें 25,939 मामले अकेले भारत के थे. यानी सार्क क्षेत्र के कुल बाल कैंसर मामलों में करीब 68.8 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की है. वैश्विक स्तर पर हर वर्ष कैंसर से पीड़ित होने वाले करीब चार लाख बच्चों में 50 हजार से अधिक भारत के होते हैं. दूसरे शब्दों में, दुनिया का लगभग हर आठवां बाल कैंसर मरीज भारत से है.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि बीमारी के बढ़ते बोझ के मुकाबले उपचार के परिणाम अभी संतोषजनक नहीं हैं. विकसित देशों में बाल कैंसर से बच्चों के ठीक होने की दर 80 से 90 प्रतिशत तक है, जबकि भारत में यह करीब 60 प्रतिशत के आसपास है. बच्चों में सबसे आम ल्यूकेमिया यानी रक्त कैंसर है, जो कुल बाल कैंसर मामलों में 35 से 50 प्रतिशत तक होता है. यह अंतर बताता है कि समस्या केवल कैंसर के बढ़ते मामलों की नहीं, बल्कि समय पर पहचान, उपचार की उपलब्धता, आर्थिक क्षमता और स्वास्थ्य ढांचे की भी है.

ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बाल कैंसर को सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से शामिल करना होगा. सबसे पहला कदम देश में बाल कैंसर के विश्वसनीय और एकीकृत आंकड़ों का राष्ट्रीय तंत्र तैयार करना होना चाहिए. अभी कई मामले पंजीकृत ही नहीं हो पाते या अलग-अलग स्वास्थ्य संस्थानों के आंकड़ों में बिखर जाते हैं. जब तक बीमारी का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आएगा, तब तक प्रभावी नीति बनाना कठिन रहेगा. यहीं चेन्नई का मॉडल नई उम्मीद जगाता है. देश में बाल कैंसर के आंकड़ों को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई पहली बाल कैंसर रजिस्ट्री से प्राप्त शोध में दो वर्ष तक बच्चों के सुरक्षित और जीवित रहने की दर 60 से 70 प्रतिशत दर्ज हुई है. इस मॉडल को केवल चेन्नई तक सीमित रखना उचित नहीं होगा. केंद्र सरकार को राज्यों के सहयोग से इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए. प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय बाल कैंसर रजिस्ट्री बने और उन्हें एक राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाए.

इसके साथ जिला स्तर पर स्क्रीनिंग, मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षित बाल कैंसर विशेषज्ञ, आधुनिक जांच सुविधाएं और सस्ती अथवा निशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों के चिकित्सकों को शुरुआती लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को उपचार के लिए बड़े शहरों तक पहुंचने में अनावश्यक देरी न हो. बाल कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल अस्पतालों की जिम्मेदारी नहीं है. सरकारों को अभिभावकों में जागरूकता अभियान चलाने होंगे और उपचार के दौरान परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सहायता भी देनी होगी. कैंसर से जंग में देरी जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को कम कर सकती है .

भारत के पास चेन्नई जैसा एक उपयोगी मॉडल मौजूद है. अब जरूरत इसे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाने की है. बाल कैंसर के आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं. सरकारों को अब उस चेतावनी को कार्रवाई में बदलना होगा. बच्चों की जिंदगी से जुड़ी इस लड़ाई में आधे-अधूरे प्रयास नहीं, बल्कि त्वरित, ठोस और निरंतर रणनीति ही देश को बेहतर परिणामों की ओर ले जा सकती है.

किताबों को फिर से बैठक कक्ष में जगह देना

बच्चों की दुनिया को समृद्ध बनाने के छोटे-छोटे तरीके

अर्चना शर्मा अवस्थी और युवराज मलिक

भारत में शिक्षा पर चर्चा लंबे समय से 'पहुँच' पर केंद्रित रही है - यानि स्कूलों तक, किताबों तक, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच. ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब हम भारतीय शिक्षा के एक नए चरण की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमारे सामने एक और इतना ही जरूरी सवाल है:

क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ती है? यह ऐसा सवाल है - जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं - जिसने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (आरईपी) या राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की. इस प्लेटफ़ॉर्म की परिकल्पना केवल एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में नहीं, बल्कि घर, स्कूल और समुदाय के स्तर पर भारत की पढ़ने की संस्कृति को समृद्ध करने के जीवंत प्रयास के रूप में की गयी थी.

आज, आरईपीमें 23 भाषाओं में 7,000 से ज्यादा चयनित किताबें मौजूद हैं,जो सैकड़ों प्रकाशकों के साथ साझेदारी में विकसित की गई हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप हैं. लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी एक ऐसा संग्रह बनाना नहीं था, जो लगातार बढ़ता ही जाए. इसके पीछे एक सोच-समझकर अपनाया गया तरीका है: एक ऐसा संग्रह बनाए रखना, जो चयनित, प्रासंगिक और जीवंत हो - जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण किताबें जोड़ी जाती हैं और अप्रासंगिक किताबों को हटाया जाता है. पैमाना मायने रखता है, लेकिन प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लगातार जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण हैं.

भारत के कई बच्चों के लिए - खासकर ग्रामीण, अर्ध-शहरी और पिछड़े क्षेत्रों में - पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य किताबों तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है. सबसे नज़दीकी किताब की दुकान कई किलोमीटर दूर हो सकती है. स्कूल के पुस्तकालय में या तो किताबें पुरानी होती हैं या स्कूल अवधि के बाद उपलब्ध नहीं होती हैं. इन बच्चों के पास कल्पना तो है, लेकिन पठन-सामग्री मौजूद नहीं है.

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय इस कमी को पूरा करता है: एक बच्चा, चाहे वह कहीं भी रहता हो या उसके परिवार का आय स्तर कुछ भी हो, अब अपने घर में पहले से मौजूद उपकरण के जरिए हजारों किताबों के पुस्तकालय तक पहुँच सकता है. बच्चे कभी भी और कहीं भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं. यह हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में किताबों पढ़ने का भी अवसर देता है. लेकिन यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि यह पहल असल में क्या नहीं है. यह छोटे बच्चों को ज्यादा समय तक स्क्रीन के सामने बिठाने का प्रयास नहीं है. यह परिवारों के लिए एक आमंत्रण है कि वे अपने पास मौजूद उपकरणों का अधिक सार्थक उपयोग करें - उस समय को साझा और समृद्ध अनुभव में बदलें, जो अन्यथा निष्क्रिय होकर, अकेले बैठकर या हानिकारक स्क्रॉलिंग या चीजें देखने में बीत जाता है.

- माता-पिता का छोटे बच्चे को ज़ोर से पढ़कर सुनाना.
- बड़े भाई/बहन का कहानी सुनाना.
- परिवार का साथ बैठकर पढ़ने के लिए समय निकालना.

ऐसे समय में जब स्क्रीन अक्सर लोगों को एक-दूसरे से दूर करके अपने में ही उलझाए रखती है, किताबें - जिन्हें इन्हीं उपकरणों के ज़रिए पढ़ा जा सकता है - लोगों को फिर से एक साथ लाने की ताकत रखती हैं. पढ़ने को स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि पारिवारिक समय बनाना.

पढ़ने के लिए राष्ट्रीय आह्वान

यह प्लेटफ़ॉर्म 'राष्ट्रीय काव्य उत्सव' जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित करता रहता है और नागरिकों से कहानी सुनाने में योगदान देने का आह्वान भी करता है. राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में और भी कई मज़ेदार और दिलचस्प गतिविधियाँ लगातार शामिल होती रहेंगी. भारत हमेशा से कहानियों की सभ्यता रहा है. लिखित रूप से पहले की मौखिक परंपराओं से लेकर हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी और अन्य कई भाषाओं के महान साहित्य तक, इस देश में कहानियों की कभी कमी नहीं रही. आज संकट कहानियों पर नहीं, बल्कि उन्हें खोजने की आदत पर है - यानि शांति से बैठकर किसी वाक्य को समझने और किसी किताब को वह समय देने की इच्छाशक्ति, जिसकी वह मांग करती है. 'जब नागरिक पढ़ते हैं, तो देश आगे बढ़ता है.'

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

एक न्यायाधिकरण, जो अपने आप में पूर्ण है

एन. वेंकटरमण

हमारे सार्वजनिक अधिनियमों मेंन्यायाधिकरणों के गठन से जुड़े कुछहीप्रश्नऐसे हैं, जिनकी इतनी बार पुनर्समीक्षा हुई है. 1987 के एस. पी. संपत कुमार मामले से लेकर नवंबर 2025 में मद्रास बार एसोसिएशन से संबंधित निर्णय तक, न्यायालयों नेकानून निरस्त किये, निर्देश जारी किए और फिर उसी आधार पर स्वयं को नए कानूनों की समीक्षा करते हुए पाया. यह विषय इतने चक्र से गुजरा है, जो अपने आप मेंदर्शाता है कि समस्या कितनी कठिन रही है. न्यायाधिकरण सुधार विधेयक,2026 इसीलिए ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अंततः वास्तविक समस्या की पहचान कर ली है और उम्मीद है किसमाधान भी खोज लिया है.

> इस प्रकार के कानून का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वह न्यायिक चुनौती में टिकता है या नहीं. इसका मूल्यांकन इस तथ्य के आधार पर होना चाहिए कि क्या वह उनस्थितियों को समाप्त करता है, जिनसे ये चुनौतियांपैदा हुईं. विधेयक इस कसौटीपर पूरीतरहखरा उतरता है. यदि यह अपने निर्धारित स्वरूप में काम करता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं किन्यायाधिकरण व्यवस्था में काफी सुधारआएगा .इसमें वादी को अंततः ऐसा मंच मिलेगा जो उचित रूप से गठित,पर्याप्त रूप से व्यवस्थित होगा, जहां रिक्तियां समय पर भरी जाएंगी तथा जो अपने कार्य-प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होगा. विकसित किया गया यह मॉडल, यदि सफल रहा तो भविष्य में अन्य प्रकार के चयन के लिए भी काफी उपयोगी होगा.

यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है. दूसरे देशों को भी इसका सामना करना पड़ा है और उनका निदान ध्यान देने योग्य है. ब्रिटेन में जब सर एंड्रयू लेगट ने 2001 में इस क्षेत्र की समीक्षा की, तोपाया कि सत्तर से अधिक न्यायाधिकरणों का प्रशासन उन्हीं विभागों द्वारा किया जा रहा था, जिनके निर्णयों की वे समीक्षा करते थे. उन्होंने इसे मूल दोष माना. उनका उपाय कार्यकाल में बदलावया योग्यताओं कोपरिष्कृत करना नहीं था. उनका समाधान था कि न्यायाधिकरणों को उनके प्रायोजक विभागों से अलग करउनका प्रशासन एकल सेवा के अधीन किया जाए. यही सुधार 2007 के अधिनियम का आधार बना.यहसुधार संरचनात्मक था. उसने निर्भरता के लक्षणों को नहीं, बल्कि निर्भरता की वजह का समाधान किया.

भारत ने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को प्रारंभिक चरण में ही अपनाया और, कुल मिलाकर, यह सफल रही. 1941 में स्थापित आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आज भी विशेषज्ञतापूर्ण न्यायनिर्णयन के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है. इस प्रारूप को अनुच्छेद 323ए और 323बी तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 द्वाराआगे बढ़ाया गया और बाद में विभिन्न नियामक क्षेत्रों मेंउस उच्च स्तर पर इसका विस्तार हुआ, जिसे उच्च न्यायालयनहीं ले सकते थे. पर हमारी समस्या अलग तरह की थी. जैसा कि न्यायालय की 2020 की टिप्पणी में कहा गया कि स्वतंत्रता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब न्यायाधिकरणों को अपने कार्य करने के लिए कार्यपालिका के कंधों का सहारा न लेना पड़े.

इस बारे में सुधार एक से अधिक बार किए गए हैं और हर बार सच्ची भावना के साथ किए गए हैं. इसके बाद होने वाली अधिकांश मुकदमेबाजी इस बात को लेकर रही कि कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए या चार या पांच वर्ष का, न्यूनतम आयु पचास वर्ष होना स्वीकार्य है या नहीं, औरएक नामया दो नामों की समिति की सिफारिश होनी चाहिए. सम्मानपूर्वक कहना होगा कि इनमें से कोई भी बात मूल समस्या तक नहीं पहुंचती. स्वतंत्रन्यायाधिकरण अंकगणित पर निर्भर नहीं करते. कार्यकाल, आयु और नामों की संख्या वे लक्षण हैं जिनके माध्यम से रोग का निदान किया गया है. वे स्वयं बीमारी नहीं हैं.

मूल बात यह है कि न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संस्था होनीचाहिए. उसका अपना प्रतिष्ठान होना चाहिए,अपने सदस्यों के चयन का उसका अपना साधनहोना चाहिए, उन पर निगरानी रखने और उन्हें अनुशासित करने की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए तथा परिसर, कर्मचारियों और धन की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए. जहां ये सभी व्यवस्थाएं मौजूद हों, वहां स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप सेआ जाती हैं. नयाविधेयक उन सभी बिंदुओं पर न्यायालय को उत्तर देता है, जिन पर न्यायालय अपनी बात कह चुका है. लेकिनइससे भीबढ़कर एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रयासहै जो उन उत्तरों को स्वयं लागू करने योग्य बना दे. राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना कानून द्वारा की जानी है. उसका अस्तित्व, गठन और कार्य किसी कार्यपालिका आदेश से नहीं, बल्कि अधिनियम से संचालित होंगे और उसे चयन, निगरानी, अनुशासन तथा न्यायाधिकरणों की आवश्यकताओं के आकलन का दायित्वहै. उसके चारों ओर एक स्थायी पेशेवर सचिवालय स्थापित किया जाएगा.

(लेखक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं. व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं.)

बीजेपी व अकाली दल में बढ़ता तालमेल

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली में भेंट की. माना जाता है कि उनके बीच अगले वर्ष पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विचार-विमर्श हुआ. इसके पूर्व बादल व अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं की हरियाणा के उपमुख्यमंत्री तथा बीजेपी के पंजाब प्रभारी नायबसिंह सैनी से चर्चा हो चुकी है. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य बीजेपी व शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन को पंजाब चुनाव के पहले बहाल करना है. पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का बीजेपी व अकाली दल मिलकर मुकाबला करें, इस पर विचार हो रहा है. पंजाब की मुख्य समस्या बढ़ती नशाखोरी तथा कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति है. चर्चा के दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) तथा सिखों की धार्मिक संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी विचार किया गया. पंजाब में पहले अकाली दल प्रमुखता रखता था व बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन अब बराबरी से सीट बंटवारा करने की बात की जा रही है. अकाली दल ने परिसीमन बिल पर बीजेपी को पूर्ण समर्थन दिया है तथा महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू करने की मांग की है. देश के सभी राज्यों में विधानसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत वृद्धि करने के बीजेपी के प्रस्ताव का भी अकाली दल ने समर्थन किया है. इस तरह केंद्र सरकार की नीतियों को अकाली दल पूर्ण समर्थन दे रहा है. बीजेपी व अकाली गठबंधन पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है. इन दोनों पार्टियों का 30 वर्ष से चला आ रहा गठबंधन 2020 के किसान आंदोलन के समय टूट गया था. इसका चुनाव में विपरीत परिणाम हुआ था. अब बीजेपी व अकाली दल के ध्यान में आ गया है कि अलग-अलग चुनाव लड़ने से दोनों को नुकसान है. बीजेपी की शहरी क्षेत्रों में पकड़ है तथा उसके पास केंद्रीय संसाधन हैं जबकि अकाली दल के पास ग्रामीण किसानों व जाट सिख समुदायों का समर्थन है. अकाली दल आंतरिक विद्रोह और घट रहे वोट बैंक से चिंतित है इसलिए बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करना चाहता है. यह उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है वहीं बीजेपी का इस सीमावर्ती राज्य में अपनी मजबूती बढ़ाना भी शामिल है. दोनों पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ता मिलकर शहरी व ग्रामीण दूरी पाट सकेंगे तथा आम आदमी पार्टी की सरकार को व कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे सकेंगे.

निशानेबाज

यह कैसी नौटंकी, कैसा है मजमा चर्चा में आया रेणुका का चश्मा

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, नौटंकी करने में विपक्षी सदस्य भी पीछे नहीं परहते. सरकार को चिढ़ाने या फिकरा कसने का कोई न कोई तरीका निकाल लेते हैं. कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने यही किया. वह ऐसा चश्मा पहनकर संसद में आईं, जिसके लेंस पर 'मोदिया बिंद' लिखी हुई स्लिप चिपकी हुई थी. संकेत यह था कि बीजेपी व एनडीए के लोगों की आंख में मोतियाबिंद या कैटरेक्ट न होकर मोदिया बिंद हो गया है. उन्हें मोदी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता. उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि मेरो तो नरेंद्र मोदी, दूसरो ना कोई!'

हमने कहा, 'इसके पहले भी एक बार रेणुका चौधरी चर्चा में आई थीं. जब सदन में उनके जोर से हंसने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस हंसी की तुलना शूर्पनखा से की थी. जहां तक रेणुका के चश्मे का सवाल है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि कहीं वह बीजेपी की जासूसी करने वाला एआई तकनीक वाला चश्मा तो नहीं है! रेणुका के मुताबिक सड़क पर लोग ऐसे चश्मे मुफ्त में बांट रहे थे,

इसलिए उन्होंने भी लगा लिया. यह चश्मा उनके लिए है, जिन्हें दिखाई नहीं देता कि देश में क्या हो रहा है. चंदा चोरी हो रही है. उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, भाजपा का भगवा चश्मा अपने व्यापक विस्तार को देखता है. मोदी का विजन 2047 तक है जिसमें वह भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनता देख रहे हैं. विश्वगुरु का यह चश्मा वर्तमान को नहीं, बल्कि भविष्य को निहारता है. कांग्रेस का चश्मा सिर्फ सरकार के दोषों और गलतियों को देखने में लगा रहता है. चश्मा 2 प्रकार का होता है. एक पढ़ने का होता है तो दूसरा दूर की चीजें देखने का! बायफोकल चश्मा पहनो तो उसी से दोनों काम हो जाते हैं. अब लोग शीशे की बजाय फाइबर लेंस वाला चश्मा पहनना पसंद करते हैं, जो गिरने से टूटता नहीं और लेंस पर खरोंच आती नहीं. चश्मे के अलग-अलग फ्रेम होते हैं जैसे कि गांधी चश्मा वाले गोल फ्रेम, चौकोर फ्रेम, शेल फ्रेम, ओवल या अंडाकार फ्रेम. धनवान लोग रिमलेस या बगैर फ्रेम का नाजुक चश्मा पहनते हैं. आपको अरुण जेटली का चश्मा याद होगा. किसी को गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहनने का शौक होता है. रामायण और महाभारतकाल से लेकर मुगल और मराठा इतिहास में कहीं भी चश्मा नहीं था. अंग्रेज भारत आए और अपने साथ चश्मा लाए. नेहरू का समाजवादी और मनमोहनसिंह का नई आर्थिक नीति वाला चश्मा था. फिलहाल सत्ता का हाई पावर लेन्स मोदी-शाह के चश्मे में है. ट्रंप के पास टैरिफ वाला टेरिफिक चश्मा है.'

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12348 - डॉ. सागर खादीवाला

बाएं से दाएं

1. भूचाल, भूकंप, भूगर्भ में होने वाली उथल-पुथल से धरती का हिलना 4. समस्त शब्दों में प्रयुक्त होने वाला नाक का संक्षिप्त रूप 6. पर्यंत, अवधि या समय-सीमा व्यक्त करने वाला अव्यय 7. सुख या आनंद देने वाला 8. लादने का सामान 10. रुकना, ठहरना, वाक्य में वह स्थान जहां बोलते समय कुछ काल ठहरना पड़ता है 11. रात के समय फूलने वाला एक प्रसिद्ध सुगंधित फूल 14. सुर्ख, रक्त के रंग का 15. तबले आदि पर हथेली का आघात 17. सेवा करने वाली स्त्री, चरी, सेविका 18. कलाई में पहनने का एक आभूषण 20. वह मकान जिसमें किसी महंत के अधीन अन्य साधु रह सकें, देवालय 21. रुई का पौधा, बिनौलों सहित रुई 23. जिसने गुरु से दीक्षा या मंत्र लिया हो 24. जलाशयों में होने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थों पर लगने वाला कर (सं.)

ऊपर से नीचे

1. धरती की सतह 2. मात्रा 3. कुश्तीबाज जवान, युवा, तरुण 4. नाज, चोचला, बनावटी इनकार 5. एक सदाबहार वृक्ष, डग 7. सुगमता, सुभीता, साधन 9. जुकाम, सर्दी 12. जिसका कंठ नीला हो, एक चिड़िया 13. हल्की वर्षा 16. किसी घर के आसपास का खुला मैदान, मिला-जुला या जुड़ा हुआ (सं.) 19. अनुकृति, अनुकरण, प्रतिलिपि 20. न, नहीं, सम्मति, राय 22. भोजन बनाने की क्रिया, पवित्र

Solution 12347

ब	ड़	वा	न	ल		सें	त
का		ह	र		आ	क	
सु	म	न		ब	ह	ना	पा
र	थ		ता		त		द
	ना	मां	कि	त		मा	त्रा
प्र		ज		नि	वा	र	ण
ख	ल	ना	य	क		पी	
र	स्सी		दि		कं	ट	क

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में मित्र के प्रति उदासीनता रहेगी. मनः स्थिति व्यथित रहेगी. दौड़धूप अत्याधिक होने से मानसिक तनाव रहेगा. राजनैतिक क्षेत्र में विवाद की स्थिति आने का योग है. वर्ष के अन्त में आत्म विश्वास जागेगा. साहसिक कार्यों में सफ्लता मिलेगी. अधिकारियों से मेल मिलाप होगा. वर्ष के अन्त में अचानक धन लाभ होगा. व्यापार के क्षेत्र में सफ्लता मिलेगी.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को साहसिक कार्यों में आत्म विश्वास में सफ्लता का योग है. वर्ष और तुला राशि के व्यक्तियों को मन व्यथित रहेगा. मित्रों के प्रति उदासीनता रहेगी. कर्क राशि के व्यक्तियों को व्यापार के क्षेत्र में सफ्लता मिलेगी. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को अत्याधिक परिश्रम करना पड़ेगा. मानसिक तनाव रहेगा. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को राजनैतिक विवाद की संभावना रहेगी. सिंह राशि के व्यक्तियोंको प्रवास में सावधानी रखनी हितकर रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिये बालक की शिक्षा के प्रति लगन रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मित्रों की संख्या सीमित होगी. कला और संगीत के प्रति रूचि रखेगा. माता पिता को सुखी रखेगा. जन्मस्थान से दूर रहेगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

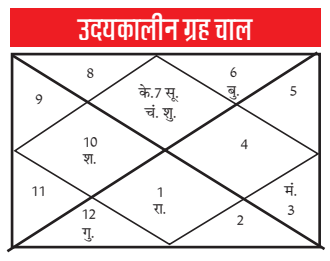

पंचांग

रा.मि. 22 संवत् 2083 श्रावण शुक्ल प्रतिपदा गुरूवासरे रात 9/32, आश्लेषा नक्षत्रे दिन 7/33, वरीयान योगे दिन 2/46, किंस्तुघ्न करणे सू.उ. 5/31, सू.अ. 6/29, चन्द्रचार कर्क दिन 7/33 से सिंह, शु.रा. 5, 7, 8, 11, 12, 3 अ.रा. 6, 9, 10, 1, 2, 4 शुभांक- 7, 9, 3.

व्यापार भविष्य

श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से गुड़ खांड़ रूई कपास, खल बिनौला गेहूँ, जौ, चना, बारदाना, में नरमीं रहेगी. वायदा विचार आज पिछले सोमवार के बने भाव पर व्यापार करना लाभदायक रहेगा. भाग्यांक 2580 है.

मेष- सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा. यात्रा का योग है. आशा से अधिक खर्च होगा. मानसिक अशांति रहेगी. अनिश्चितता रहेगी.

वृषभ- बीती बातोंको याद करने से गतिरोध बढ़ सकता है. राजकीय कार्य बनेंगे. मनः स्थिति संतुलित रहेगी. व्यवसाय में अच्छी सफ्लता मिलेगी.

मिथुन- दबाव में फैसला लेने की बजाय टाल दें. रास्ता निकल आयेगा. कारोबारी यात्रा होगी. नौकरी संबंधी कार्यों में सफ्लता मिलेगी. प्रतिष्ठितजनों का सहयोग होगा.

कर्क- लापरवाही छोड़कर कार्य पर ध्यान दें, मित्रों से किया गया वादा पूरा करने में नाकाम रहेंगे. समय के स्वरूप को देखकर कार्य करना हितकर रहेगा.

सिंह- कानूनी मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर कार्य करें. लाभ होगा. अनावश्यक खर्च को टालें. परिश्रम एवं दौड़धूप अधिक होगी.

कन्या- कार्यक्षेत्र में परिचय का लाभ मिलेगा. वैचारिक मतभेद दूर होने के आसार हैं. पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा. मांगलिक कार्य बनेगा.

तुला- भावुकता में लियेगये फैसले बदलना पड़ सकते हैं. विरोधी साजिश में फ्साने की कोशिश करेगा. अतिथि आगमन होगा. सुख सौहार्द की प्राप्ती होगी.

वृश्चिक- दिखावे के चक्कर में कर्ज का बोझ बढ़ता जायेगा. दौड़धूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. संतान सुख मिलेगा. सभी काम बनेंगे. अनावश्यक विवादों को टालें.

धनु- युवाओं को कैरियर की तलाश रहेगी. कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफ्लता मिलेगी. दिनचर्या अच्छी रहेगी. पुराना कोई कार्य करने से प्रसन्नता होगी.

मकर- सुख सुविधा पर खर्च होगा. तनाव के कारण काम में मन नहीं लगेगा. नौकर चाकरों एवं अधिनस्थ वर्ग का सहयोग मिलेगा. प्रियजनों का समाचार मिलेगा.

कुम्भ- विवादास्पद मामले बातचीत से सुलझा लेंगे, अध्ययन में सफ्लता मिलेगी. आर्थिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

मीन- जल्दबाजी में लिये फैसले बदलना पड़ सकते हैं, सहकर्मी नीचा दिखाने का प्रयास करेगा. कुछ जरूरी काम बनेंगे, जिससे खुशी होगी. योजना का क्रियान्वयन होगा.

SUDOKU 7480

2						5		
	1			8				9
7					4			
			9			1		
	3						6	
		8			5			
			3					8
5				6			2	
		4						7

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7479

2	3	6	8	5	1	4	9	7
9	4	5	7	6	3	8	2	1
1	7	8	2	9	4	6	5	3
3	1	9	6	7	2	5	4	8
5	6	2	1	4	8	3	7	9
7	8	4	5	3	9	1	6	2
4	9	1	3	2	5	7	8	6
8	2	7	4	1	6	9	3	5
6	5	3	9	8	7	2	1	4